राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट (RPET)-2009

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान
डब्लू–6, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर – 342032
वेबसाईट : http://techedu.rajasthan.gov.in फोन : 0291–2632446
www.rpet.indiaresults.com फैक्स : 0291–2430398

ऑप्शन फॉर्म (Option Form) भरने के दिशा निर्देश

1. आरपीईटी–2009 के माध्यम से इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. ऑप्शन फॉर्म भरना अनिवार्य है। यह ओ.एम.आर. ऑप्शन फॉर्म एवं निर्देश पुस्तिका अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध करवा दिये गये थे। पूर्ण रूप से भरे हुए ऑप्शन फॉर्म दिनाक 16.7.2009 से 25.07.2009 के मध्य निर्धारित नोडल केन्द्रों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं।
2. नोडल केन्द्र निम्नानुसार है :– राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, खेतान पॉलिटेक्निक जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, चूरू, सीकर, विद्याभवन पॉलिटेक्निक उदयपुर, बिड़ला टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट पिलानी एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जयपुर, सांगानेर तथा उदयपुर।
3. ऑप्शन फॉर्म केवल नोडल केन्द्रों पर ही जमा करवाये जा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में ऑप्शन फॉर्म डाक/कोरियर से नहीं भेजना है।
4. नोडल केन्द्र पर ऑप्शन फॉर्म जमा कराते समय ऑप्शन फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से यू क्लिप द्वारा संलग्न करें :–
   (1) 10,000 रूपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो Coordinator, RPET-2009 के नाम से जोधपुर में देय हो।
   (2) XII उत्तीर्ण की अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि।
   (3) यदि आरक्षित श्रेणी-I (SC, ST, Non Creamy Layer OBC) में आते हैं तो सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
   (4) यदि आरक्षित श्रेणी-II (Ex S1, Ex S2, Ex S3, Ex S4, KM, PH) में आते हैं तो संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि।
   (5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर (वार्षिक आय 2.50 लाख से कम) Economically weaker section के अभ्यर्थी आरपीईटी–2009 की सूचना पुस्तिका में पृष्ट संख्या 32 पर दिये गये प्रमाण पत्र संख्या 6 संलग्न करने पर ही TFWS स्कीम के पात्र होंगे।
   उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में ऑप्शन फॉर्म स्वीकार्य नही होगा।
5. अभ्यर्थी को दिये गये ऑप्शन फॉर्म खो जाने की अवस्था में डुप्लीकेट ऑप्शन फॉर्म नोडल केन्द्रों से 200/– मात्र का भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते हैं।
6. विभिन्न महाविद्यालयों की नवीनतम सीट मैट्रिक्स, मण्डल की अधिकृत वेबसाईट पर उपलब्ध है। यदि सीट मैट्रिक्स में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे तत्काल वेबसाईट पर अपडेट कर दिया जायेगा। **अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑप्शन फॉर्म भरने से पूर्व ऑप्शन फॉर्म निर्देश पुस्तिका एवं बेवसाईट पर उपलब्ध अपडेटेड सीट मैट्रिक्स का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।**
7. नवीनतम सूचनाओं की जानकारी के लिए वेबसाईट को नियमित रूप से देखते रहे।
8. सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को आरपीईटी की मेरिट में वरीयता एवं उनके द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर महाविद्यालय एवं ब्रान्च का आंवटन किया जायेगा, तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार इनके अपवर्ड मूवमेन्ट (Upward Movement) की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।
   अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात् ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने TFWS स्कीम का चयन किया है में अन्तिम रूप से प्रवेशित Female, Physically handicapped & Economically weaker section के अभ्यर्थियों में से इस स्कीम के लाभार्थियों की सूची का निर्धारण मेरिट के अनुसार किया जायेगा।
9. आरपीईटी–2009 से सम्बन्धित संस्थान निम्नानुसार विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त है :–

Sr. No.	Name of College	Govt./ Private College	University	Govt./ Private University
1.	M.B.M. Engineering College, Jodhpur	Govt.	Jai Narayan Vyas University, Jodhpur	Govt.
2.	College of Dairy & Food Science Technology, Udaipur	Govt.	Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur	Govt.
3.	College of Technology and Engineering, Udaipur	Govt.	Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur	Govt.
4.	Gyan Vihar School of Engineering & Technology, Jaipur	Private	Suresh Gyan Vihar University, Jaipur	Private
5.	All Other Colleges Except above	Govt./ Private	Rajasthan Technical University, Kota	Govt.

समन्वयक